पत्र सं०-को०प्र०/कम्प्यूटर-07/2015........2137........

DISTRICT MAGISTRATE
20 MAR 2020
SUPAUL

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव(व्यय) ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना ।
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-20/03/2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 के समाप्ति माह मार्च के अंतिम दिन दिनांक-31.03.2020 को CFMS में निष्पादित किया जाने वाले कार्यों के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतिम माह मार्च समाप्ति पर है । इसे देखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजटीय उपबंध के विरूद्ध स्वीकृत राशि के निकासी एवं शेष बजट का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2020 तक आवश्यक है । CFMS प्रणाली के लागू होने के फलस्वरूप वित्तीय व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं । इसी के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम माह मार्च के अंतिम दिन दिनांक-31.03.2020 को CFMS में निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

1. वित्त विभागीय पत्रांक-997 दिनांक-06.02.2020 के आलोक में सभी तरह के विपत्र नियमानुसार तैयार कर तय तिथि के अनुसार निश्चित रूप से संबंधित कोषागार को उपलब्ध करायेंगे ।
2. वित्त विभागीय पत्रांक-997 दिनांक-06.02.2020 के कंडिका (4) में उल्लेखित विपत्र एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में तैयार किये गये विपत्र को दिनांक-31.03.2020 को सभी विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 03:00 बजे अपराह्न तक तैयार कर e-Sign करके संबंधित कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय । उक्त अवधि के पश्चात् CFMS में विपत्र बनाने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी ।
3. कोषागार द्वारा विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सभी विपत्रों को अपराह्न 06:00 बजे तक e-Sign कर दिये जायेंगे ।
4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित बजट से अवशेष राशि का प्रत्यर्पण विभागों/कार्यालयों के द्वारा नहीं किया जाना है । CFMS में Auto Surrender का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे दिनांक-31.03.2020 को 12:00 बजे रात्रि में अवशेष बजट उपबंध का स्वतः प्रत्यर्पण हो जायेगा ।

5. CFMS प्रणाली में दिनांक-31.03.2020 को अपराह्न 06:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक कोषागार पदाधिकारी मात्र प्रणाली-जनित विपत्र ही पारित कर सकेंगे ।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक-01.04.2020 को CFMS Software आवश्यक Maintenance हेतु Shut Down रहेंगे । दिनांक-02.04.2020 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित बजट प्रावधान, आवंटन एवं स्वीकृत्यादेश के अधीन विभिन्न प्रकार के विपत्रों की प्रविष्टि CFMS Software में करने हेतु उपलब्ध रहेंगे ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था से सभी संबंधितों को अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-को०प्र०/कम्प्यूटर-07/2015..2137... दिनांक- 20/03/2020

प्रतिलिपि- श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, वरीय परामर्शी, CFMS Project, TCS Ltd. Patna को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

समाहरणालय, सुपौल।
(स्थापना शाखा)

ज्ञापांक 342-2/स्था0, सुपौल, दिनांक 21/03/2020

प्रतिलिपिः– सभी थानाध्यक्ष, सुपौल जिला/सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल जिला/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल जिला/सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), सुपौल जिला/सभी प्रखंड समन्वयक, लोहिया स्वच्छता समिति, सुपौल जिला/सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल जिला/सभी प्रखंड सहायक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति कार्यालय, सुपौल जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल जिला/सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सुपौल जिला/सभी अंचल अधिकारी, सुपौल जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल जिला/सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुपौल जिला/ निबंधक, जिला निबंधन कार्यालय, सुपौल/अवर निबंधक, निबंधन कार्यालय, त्रिवेणीगंज/ गणपतगंज/निर्मली/ अधीक्षक उप कारा, वीरपुर/मंडल कारा, सुपौल/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल/नगर पंचायत, वीरपुर/निर्मली/अधीक्षक, उत्पाद सुपौल/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम सुपौल/ निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, सुपौल/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुपौल/सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी, समाहरणालय, सुपौल/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, सुपौल/जिला शस्त्र पदाधिकारी, सुपौल/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सुपौल/जिला योजना पदाधिकारी, सुपौल/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल/जिला खनन पदाधिकारी, सुपौल/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी, जिला शारीरिक शिक्षा कार्यालय सुपौल/जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल/पुनर्वास पदाधिकारी, कोशी योजना, सुपौल/परियोजना निदेशक, आत्मा, सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी, मिट्टी रसायनज्ञ कार्यालय, सुपौल/परियोजना निदेशक, जीविका सुपौल/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल/कार्यक्रम पदाधिकारी (एम0डी0एम0), सुपौल/जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल/सहायक निदेशक, सहयोग समितियाँ, त्रिवेणीगंज/वीरपुर/जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल/जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, सुपौल/ जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, सुपौल/परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, सुपौल/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सुपौल/सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, सुपौल/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल/जिला आई0टी0 प्रबंधक, सुपौल/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल जिला एवं सुपौल जिलान्तर्गत सभी संबंधित विभाग/कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को जिला के वेबसाईट/ई–मेल के माध्यम से सभी संबंधितों को संसूचित किया जाय।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, आपदा, सुपौल/उप विकास आयुक्त, सुपौल/अपर समाहर्त्ता, सुपौल/पुलिस अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.20

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता,
सुपौल।